GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO: 182
TO BE ANSWERED ON 08.08.2024

Status on forest cover

182*. SHRI S. SELVAGANABATHY:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the names of States where forest cover has increased/decreased during the last three years, State/ UT-wise;
(b) the details of the schemes implemented by Government during the last three years to increase forest cover and develop new forest areas in various cities of the country, State/UT-wise including Puducherry; and
(c) whether Government has any scheme to increase forest cover on the basis of their utility and if so, the details thereof, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c) The statement is laid on the table of the House.

****

Statement referred to in reply to part (a) to (c) of Rajya Sabha Starred Question No. 182 due for reply on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover' by Shri S. Selvaganabathy:

(a) Forest Survey of India (FSI), Dehradun, an organization under the Ministry, carries out the assessment of forest cover of the country biennially since 1987 and the findings are published in the India State of Forest Report (ISFR). The forest cover assessment is a wall-to-wall mapping exercise based on remote sensing supported by intensive ground verification and field data from the National Forest Inventory. As per the latest ISFR 2021, the total forest cover of the country is 7,13,789 square kilometre which is 21.71% of the geographical area of the country. The forest cover of the country continuously increased in past decade. An increase of 21,762 square kilometer in forest cover has been recorded in the assessment of ISFR 2021 as compared to ISFR 2011.

The names of States and UTs where forest cover has increased/decreased during the last four years are given at **Annexure I.**

(b) and (c) To further increase the forest cover in the country, the Government has provided financial support to various States and Union Territories (UTs) under various schemes and programmes such as National Mission for a Green India (GIM), Development of Wildlife Habitats, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) etc. The financial support is provided for ecological restoration through afforestation in and outside forest areas, habitat improvement, soil and water conservation measures, protection of forests etc.

Further, to promote tree plantation and urban forestry involving local communities, NGOs, local bodies etc, the scheme Nagar Van Yojana (NVY) has been launched during the year 2020. It intends to provide a healthy living environment for the residents and thus contributing in the growth of clean, green, healthy and sustainable cities.

The funds released by the Ministry during the last three years under Nagar Van Yojana, Green India Mission, CAMPA, Development of Wildlife Habitats to State and UTs are enclosed at **Annexure II, Annexure III, Annexure IV and Annexure V** respectively.

*****

Annexure I

Annexure referred to in reply to part (a) of the Rajya Sabha Starred Question No. 182 due for answer on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover'

Details of increase in Forest Cover between ISFR 2017 and ISFR 2021

(Area in square kilometre)

Sl .No.	States/UTs	Geographical area	ISFR 2017 Total Forest Cover	ISFR 2021 Total Forest Cover	Change in Forest Cover between ISFR 2021 & ISFR 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)
1	Andhra Pradesh	1,62,968	28,147	29,784	+1,637
2	Arunachal Pradesh	83,743	66,964	66,431	-533
3	Assam	78,438	28,105	28,312	+207
4	Bihar	94,163	7,299	7,381	+82
5	Chhattisgarh	135,192	55,547	55,717	+170
6	Delhi	1,483	192.41	195	+2.59
7	Goa	3,702	2,229	2,244	+15
8	Gujarat	196,244	14,757	14,926	+169
9	Haryana	44,212	1,588	1,603	+15
10	Himachal Pradesh	55,673	15,100	15,443	+343
11	Jharkhand	79,716	23,553	23,721	+168
12	Karnataka	191,791	37,550	38,730	+1,180
13	Kerala	38,852	20,321	21,253	+932
14	Madhya Pradesh	308,252	77,414	77,493	+79
15	Maharashtra	307,713	50,682	50,798	+116
16	Manipur	22,327	17,346	16,598	-748
17	Meghalaya	22,429	17,146	17,046	-100
18	Mizoram	21,081	18,186	17,820	-366
19	Nagaland	16,579	12,489	12,251	-238
20	Odisha	155,707	51,345	52,156	+811
21	Punjab	50,362	1,837	1,847	+10
22	Rajasthan	342,239	16,572	16,655	+83

23	Sikkim	7,096	3,344	3,341	-3
24	Tamil Nadu	130,060	26,281	26,419	+138
25	Telangana	112,077	20,419	21,214	+795
26	Tripura	10,486	7,726	7,722	-4
27	Uttar Pradesh	240,928	14,679	14,818	+139
28	Uttarakhand	53,483	24,295	24,305	+10
29	West Bengal	88,752	16,847	16,832	-15
30	A&N Islands	8,249	6,742	6,744	+2
31	Chandigarh	114	21.56	22.88	+1.32
32	Dadra & Nagar Haveli #	491	207	227.75	+0.26
33	Daman & Diu #	111	20.49		
34	Jammu & Kashmir*	222,236	23,241	21,387	-1,854
35	Ladakh		0	2,272	+2,272
36	Lakshadweep	30	27.10	27.10	0
37	Puducherry	490	53.67	53.30	-0.37
Grand Total		**3,287,469**	**708,273**	**713,789**	**5,516**

 # From ISFR 2021 onwards Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have been combined into one UT.
** From ISFR 2017 onwards Jammu & Kashmir was divided into two UTs viz. Jammu & Kashmir and Ladakh.*

+ indicates net increase
- indicates net decrease

Annexure II

Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No. 182 due for answer on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover'

Details of funds released to State/ UT Governments under Nagar Van Yojana for the last three years

(Rs. In lakhs)

Sl. No.	State/UT	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andaman & Nicobar Islands	56.35	0	0
2	Andhra Pradesh	117.4	358.61	5938.68
3	Arunachal Pradesh	0	56	24
4	Assam	169.61	0	0
5	Bihar	100.78	137.61	44.804
6	Chandigarh	0	13.412	0
7	Chhattisgarh	690.42	0	0
8	Goa	143.71	0	61.59
9	Gujarat	297.5	203	0
10	Haryana	449.02	0	0
11	Himachal Pradesh	166.46	319.4	0
12	Jammu & Kashmir	138.46	476.28	107.34
13	Jharkhand	236.53	1762.8	145.29
14	Karnataka	140.35	0	260.44
15	Kerala	1055.28	0	0
16	Madhya Pradesh	1010.7	1175.1	0
17	Maharashtra	156.86	193.87	0
18	Manipur	143.71	0	0
19	Meghalaya	0	242.76	0
20	Mizoram	284.06	1766.1	121.74
21	Nagaland	129.29	0	1895.29
22	Odisha	2030.83	0	0
23	Punjab	262.08	0	366.088
24	Rajasthan	444.36	848.12	72.8
25	Sikkim	0	390.97	42
26	Tamil Nadu	593.11	630	0
27	Telangana	0	585.62	0
28	Tripura	353.36	0	151.44
29	Uttar Pradesh	1968.3	5.6	0
30	Uttarakhand	0	86.72	0
31	West Bengal	102.06	72.8	158.07
Total		**11241**	**9324.8**	**9389.6**

Annexure-III

Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No.182 due for answer on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover'

Details of funds released to States/UTs for the last three years under National Mission for a Green India (GIM)

(Rs. In Crores)

Sl. No.	States	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	2.02	0.00	0.00
2	Arunachal Pradesh	13.43	21.28	0.00
3	Chhattisgarh	6.12	0.00	0.09
4	Haryana	9.55	0.00	7.60
5	Himachal Pradesh	0.00	0.00	0.00
6	Jammu & Kashmir	0.00	6.49	0.00
7	Karnataka	4.45	2.93	2.33
8	Kerala	0.00	0.00	0.00
9	Madhya Pradesh	18.29	17.93	8.62
10	Maharashtra	0.00	0.00	0.00
11	Manipur	9.93	5.45	8.91
12	Mizoram	29.86	36.27	21.13
13	Odisha	17.74	8.4756	12.59
14	Punjab	3.32	2.7393	5.38
15	Sikkim	7.77	6.57	7.50
16	Uttarakhand	33.99	28.40	31.94
17	West Bengal	0.00	0.76	0.76
18	Uttar Pradesh	0.00	0.00	5.43
Total		**156.46**	**137.29**	**112.28**

Annexure-IV

Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No. 182 due for answer on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover'

Details of funds approved in Annual Plan of Operations of States/UTs by National Authority under CAMPA for the last three years

(Rs. in Crores)

Sl. No.	State/UTs	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andaman and Nicobar Islands	0.00	10.97	6.70
2	Andhra Pradesh	325.00	224.09	226.70
3	Arunachal Pradesh	240.35	195.29	190.69
4	Assam	95.01	162.16	109.69
5	Bihar	106.84	115.42	37.88
6	Chandigarh	3.60	1.66	1.54
7	Chhattisgarh	1500.76	688.46	471.21
8	Delhi	16.15	33.93	47.15
9	Goa	21.55	36.53	31.28
10	Gujarat	200.00	205.00	250.02
11	Haryana	317.59	270.68	69.03
12	Himachal Pradesh	138.10	190.23	185.14
13	Jammu and Kashmir	269.97	312.69	370.55
14	Jharkhand	437.608	764.85	412.14
15	Karnataka	321.09	270.98	313.89
16	Kerala	25.13	17.26	9.06
17	Ladakh	0.00	0.00	60.55
18	Madhya Pradesh	713.46	889.84	1070.61
19	Maharashtra	688.27	708.11	597.57
20	Manipur	25.09	22.59	20.26
21	Meghalaya	36.40	26.67	30.91
22	Mizoram	18.08	16.74	14.60
23	Odisha	901.03	1191.31	948.04
24	Punjab	218.06	203.01	257.10
25	Rajasthan	286.70	249.19	286.49
26	Sikkim	95.30	92.85	79.95
27	Tamil Nadu	0.00	38.22	44.149
28	Telangana	752.71	772.65	455.30
29	Tripura	35.242	52.90	59.77
30	UP	586.89	344.08	172.04
31	Uttarakhand	726.88	320.15	383.82
32	West Bengal	58.30	52.83	79.40
	Total	**9161.15**	**8481.34**	**7293.23**

Annexure-V

Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No. 182 due for answer on 08.08.2024 regarding 'Status on forest cover'

Details of funds released to State/ UT Governments under Central Sponsored Scheme -'Development of Wildlife Habitats' during last three years.

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	States/UTs	2021-22	2022-23	2023-24
1	A& N Islands	135.77	25.125	0
2	Andhra Pradesh	0	0	0
3	Arunachal Pradesh	419.80617	276.44062	672.462
4	Assam	0	209.1464	565.10763
5	Bihar	410.85952	0	336.37223
6	Chandigarh	0	21.6241	16.498
7	Chhattisgarh	274.5903	104.457	116.24868
8	Goa	0	0	50.10
9	Gujarat	0	200.01	206.99
10	Haryana	127.331	30.1575	167.85
11	Himachal Pradesh	197.09452	114.3205	94.15328
12	Jammu & Kashmir	0	0	69.57972
13	Jharkhand	79.53315	0	14.91025
14	Karnataka	1256.59314	291.71146	581.52346
15	Kerala	295.7737	224.4735	921.0361
16	Madhya Pradesh	389.34906	265.5508	471.81959
17	Maharashtra	0	350.3879	554.69645
18	Manipur	142.50646	180.64379	231.72407
19	Meghalaya	530.51253	0	243.56611
20	Mizoram	198.9678	190.1977	304.207
21	Nagaland	342.0315	725.6565	1306.3275
22	Odisha	726.80273	967.4976	612.81161
23	Rajasthan	1007.64845	86.78886	0
24	Sikkim	182.97174	239.66048	187.03237
25	Tamil Nadu	390.75715	132.95205	373.8902
26	Telangana	0	0	0
27	Uttar Pradesh	169.06261	266.7472	290.64425
28	Uttarakhand	226.34415	212.9662	498.497
29	West Bengal	757.25599	201.30866	385.29988
30	Puducherry	0	0	5.22
31	Lakshadweep	462.086	269.9055	124.655
32	Delhi	0	0	0
33	Tripura	0	0	186.05514
34	Ladakh UT	31.95	61.11591	0.06
Grand Total		**8755.59767**	**5648.84523**	**9589.33752**

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *182
08.08.2024 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति

***182. श्री एस. सेल्वागनबेथीः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है/कमी आई है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करने तथा देश के विभिन्न शहरों में नए वन क्षेत्र विकसित करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का, पुडुचेरी सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की वन क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर इसमें वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वनावरण का आकलन करता है और उसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वनावरण का आकलन गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त फील्ड डेटा से समर्थित रिमोट सेंसिंग पर आधारित एक वॉल-टू-वॉल रेखाकंन कार्य है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। पिछले दशक में देश के वनावरण में निरंतर वृद्धि हुई है। आईएसएफआर-2011 की तुलना में, आईएसएफआर-2021 के आकलन में वनावरण में 21,762 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है।

गत चार वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जहां वनावरण में वृद्धि/कमी हुई है, के नाम **अनुबंध-I** में दिए गए हैं**।**

(ख) और (ग): सरकार ने देश में वनावरण में और वृद्धि करने हेतु, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का विकास, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) आदि जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। वन क्षेत्रों में और उनके बाहर वनीकरण, पर्यावास में सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों, वनों के संरक्षण आदि के माध्यम से पारिस्थितिकी के पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके वृक्षारोपण और शहरी वानिकी को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020 के दौरान नगर वन योजना (एनवीवाई) स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निवासियों को जीवन-यापन के लिए स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना और इस प्रकार स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और संधारणीय शहरों के विकास में योगदान देना है।

गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना, हरित भारत मिशन, काम्पा और वन्यजीव पर्यावासों का विकास कार्यक्रमों के तहत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध II, अनुबंध III, अनुबंध IV और अनुबंध V** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईएसएफआर-2017 और आईएसएफआर-2021 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि का विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्रम सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्रफल	आईएसएफआर 2017	आईएसएफआर 2021	आईएसएफआर 2021 और आईएसएफआर 2017 के बीच वन क्षेत्र में परिवर्तन
			कुल वन क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)
1	आंध्र प्रदेश	1,62,968	28,147	29,784	+1,637
2	अरुणाचल प्रदेश	83,743	66,964	66,431	-533
3	असम	78,438	28,105	28,312	+207
4	बिहार	94,163	7,299	7,381	+82
5	छत्तीसगढ	135,192	55,547	55,717	+170
6	दिल्ली	1,483	192.41	195	+2.59
7	गोवा	3,702	2,229	2,244	+15
8	गुजरात	196,244	14,757	14,926	+169
9	हरियाणा	44,212	1,588	1,603	+15
10	हिमाचल प्रदेश	55,673	15,100	15,443	+343
11	झारखंड	79,716	23,553	23,721	+168
12	कर्नाटक	191,791	37,550	38,730	+1,180
13	केरल	38,852	20,321	21,253	+932
14	मध्य प्रदेश	308,252	77,414	77,493	+79
15	महाराष्ट्र	307,713	50,682	50,798	+116
16	मणिपुर	22,327	17,346	16,598	-748
17	मेघालय	22,429	17,146	17,046	-100
18	मिजोरम	21,081	18,186	17,820	-366
19	नगालैंड	16,579	12,489	12,251	-238
20	ओडिशा	155,707	51,345	52,156	+811
21	पंजाब	50,362	1,837	1,847	+10
22	राजस्थान	342,239	16,572	16,655	+83
23	सिक्किम	7,096	3,344	3,341	-3

24	तमिलनाडु	130,060	26,281	26,419	+138
25	तेलंगाना	112,077	20,419	21,214	+795
26	त्रिपुरा	10,486	7,726	7,722	-4
27	उत्तर प्रदेश	240,928	14,679	14,818	+139
28	उत्तराखंड	53,483	24,295	24,305	+10
29	पश्चिम बंगाल	88,752	16,847	16,832	-15
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,742	6,744	+2
31	चंडीगढ़	114	21.56	22.88	+1.32
32	दादरा और नगर हवेली #	491	207	227.75	+0.26
33	दमन और दीव #	111	20.49		
34	जम्मू और कश्मीर*	222,236	23,241	21,387	-1,854
35	लद्दाख		0	2,272	+2,272
36	लक्षद्वीप	30	27.10	27.10	0
37	पुदुचेरी	490	53.67	53.30	-0.37
	कुल योग	**3,287,469**	**708,273**	**713,789**	**5,516**

 # आईएसएफआर 2021 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।
** आईएसएफआर 2017 से जम्मू और कश्मीर को दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया ।*

+ शुद्ध वृद्धि दर्शाता है
- शुद्ध कमी दर्शाता है

अनुबंध-II

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान नगर वन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	56.35	0	0
2	आंध्र प्रदेश	117.4	358.61	5938.68
3	अरुणाचल प्रदेश	0	56	24
4	असम	169.61	0	0
5	बिहार	100.78	137.61	44.804
6	चंडीगढ़	0	13.412	0
7	छत्तीसगढ	690.42	0	0
8	गोवा	143.71	0	61.59
9	गुजरात	297.5	203	0
10	हरियाणा	449.02	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	166.46	319.4	0
12	जम्मू और कश्मीर	138.46	476.28	107.34
13	झारखंड	236.53	1762.8	145.29
14	कर्नाटक	140.35	0	260.44
15	केरल	1055.28	0	0
16	मध्य प्रदेश	1010.7	1175.1	0
17	महाराष्ट्र	156.86	193.87	0
18	मणिपुर	143.71	0	0
19	मेघालय	0	242.76	0
20	मिजोरम	284.06	1766.1	121.74
21	नगालैंड	129.29	0	1895.29
22	ओडिशा	2030.83	0	0
23	पंजाब	262.08	0	366.088
24	राजस्थान	444.36	848.12	72.8
25	सिक्किम	0	390.97	42
26	तमिलनाडु	593.11	630	0
27	तेलंगाना	0	585.62	0
28	त्रिपुरा	353.36	0	151.44
29	उत्तर प्रदेश	1968.3	5.6	0
30	उत्तराखंड	0	86.72	0
31	पश्चिम बंगाल	102.06	72.8	158.07
कुल		**11241**	**9324.8**	**9389.6**

अनुबंध-III

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2.02	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	13.43	21.28	0.00
3	छत्तीसगढ	6.12	0.00	0.09
4	हरियाणा	9.55	0.00	7.60
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
6	जम्मू और कश्मीर	0.00	6.49	0.00
7	कर्नाटक	4.45	2.93	2.33
8	केरल	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	18.29	17.93	8.62
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	9.93	5.45	8.91
12	मिजोरम	29.86	36.27	21.13
१३	ओडिशा	17.74	8.4756	12.59
14	पंजाब	3.32	2.7393	5.38
15	सिक्किम	7.77	6.57	7.50
16	उत्तराखंड	33.99	28.40	31.94
17	पश्चिम बंगाल	0.00	0.76	0.76
18	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5.43
कुल		**156.46**	**137.29**	**112.28**

अनुबंध- IV

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान काम्पा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक प्रचालन योजनाओं में स्वीकृत निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	10.97	6.70
2	आंध्र प्रदेश	325.00	224.09	226.70
3	अरुणाचल प्रदेश	240.35	195.29	190.69
4	असम	95.01	162.16	109.69
5	बिहार	106.84	115.42	37.88
6	चंडीगढ़	3.60	1.66	1.54
7	छत्तीसगढ	1500.76	688.46	471.21
8	दिल्ली	16.15	33.93	47.15
9	गोवा	21.55	36.53	31.28
10	गुजरात	200.00	205.00	250.02
11	हरियाणा	317.59	270.68	69.03
12	हिमाचल प्रदेश	138.10	190.23	185.14
13	जम्मू और कश्मीर	269.97	312.69	370.55
14	झारखंड	437.608	764.85	412.14
15	कर्नाटक	321.09	270.98	313.89
16	केरल	25.13	17.26	9.06
17	लद्दाख	0.00	0.00	60.55
18	मध्य प्रदेश	713.46	889.84	1070.61
19	महाराष्ट्र	688.27	708.11	597.57
20	मणिपुर	25.09	22.59	20.26
21	मेघालय	36.40	26.67	30.91
22	मिजोरम	18.08	16.74	14.60
23	ओडिशा	901.03	1191.31	948.04
24	पंजाब	218.06	203.01	257.10
25	राजस्थान	286.70	249.19	286.49
26	सिक्किम	95.30	92.85	79.95
27	तमिलनाडु	0.00	38.22	44.149
28	तेलंगाना	752.71	772.65	455.30
29	त्रिपुरा	35.242	52.90	59.77
30	उत्तर प्रदेश	586.89	344.08	172.04
31	उत्तराखंड	726.88	320.15	383.82
32	पश्चिम बंगाल	58.30	52.83	79.40
	कुल	**9161.15**	**8481.34**	**7293.23**

अनुबंध-V

"वन क्षेत्र के संबंध में स्थिति" के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी निधियों का ब्यौरा।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	135.77	25.125	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	419.80617	276.44062	672.462
4	असम	0	209.1464	565.10763
5	बिहार	410.85952	0	336.37223
6	चंडीगढ़	0	21.6241	16.498
7	छत्तीसगढ	274.5903	104.457	116.24868
8	गोवा	0	0	50.10
9	गुजरात	0	200.01	206.99
10	हरियाणा	127.331	30.1575	167.85
11	हिमाचल प्रदेश	197.09452	114.3205	94.15328
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	69.57972
13	झारखंड	79.53315	0	14.91025
14	कर्नाटक	1256.59314	291.71146	581.52346
15	केरल	295.7737	224.4735	921.0361
16	मध्य प्रदेश	389.34906	265.5508	471.81959
17	महाराष्ट्र	0	350.3879	554.69645
18	मणिपुर	142.50646	180.64379	231.72407
19	मेघालय	530.51253	0	243.56611
20	मिजोरम	198.9678	190.1977	304.207
21	नगालैंड	342.0315	725.6565	1306.3275
22	ओडिशा	726.80273	967.4976	612.81161
23	राजस्थान	1007.64845	86.78886	0
24	सिक्किम	182.97174	239.66048	187.03237
25	तमिलनाडु	390.75715	132.95205	373.8902
26	तेलंगाना	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	169.06261	266.7472	290.64425
28	उत्तराखंड	226.34415	212.9662	498.497
29	पश्चिम बंगाल	757.25599	201.30866	385.29988
30	पुदुचेरी	0	0	5.22
31	लक्षद्वीप	462.086	269.9055	124.655
32	दिल्ली	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	186.05514
34	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	31.95	61.11591	0.06
कुल योग		**8755.59767**	**5648.84523**	**9589.33752**

SHRI S. SELVAGANABATHY: Sir, the recent tragedy in Wayanad is an example of neglecting the recommendations of the Gadgil Committee. The Report recommended the complete ban on the use of genetically-modified crops in the Eco-Sensitive Zone-I and II areas, and also stopping the construction of railway projects and major road projects. The ecologically-sensitive zones are filled with loose and red soil. If there had been a tree cover, the calamity could have been arrested or its impact could have been reduced. My question is: Will the Government formulate a device mission scheme to establish tree cover in such zones?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief. माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, वह forest cover को लेकर था। जहाँ तक forest cover में development activities का विषय है, हमारे यहाँ forest clearance और wildlife clearance देने की एक प्रक्रिया है। उस निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किसी forest cover में या wildlife area में अगर कोई development activity है, तो उसके अंतर्गत ही यह permission दी जाती है। दूसरा, देश में लगभग 647 से ज्यादा Eco-Sensitive Zones हैं। Eco-Sensitive Zone निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है, राज्य सरकार के दिए गए सुझाव के आधार पर ही यह Eco-Sensitive Zones निर्धारण करने की प्रक्रिया की जाती है। तीसरे विषय के बारे में मैं माननीय सदस्य को यह क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में वायनाड में केवल एक forest clearance दी गई, वह भी सैद्धांतिक स्तर पर, 17 हेक्टर जमीन में कैनाल की दी गई, जिस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ और केंद्र सरकार के द्वारा कोई forest clearance की स्वीकृति पिछले 10 वर्षों में वायनाड के उस एरिया में नहीं दी गई, जहाँ पर यह घटना घटी थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary - Shri S. Selvaganabathy.

SHRI S. SELVAGANABATHY: In the Union Territory of Puducherry, there is a land constraint to develop forest cover. But, many Government lands and temples' lands, which are available, are not being maintained. Therefore, will the Government identify the vacant lands belonging to the Government and the temples to establish tree cover with native species and also provide special fund for such development and maintenance?

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, जहां तक भूमि के संबंध में यह विषय है, तो भूमि राज्यों के स्वामित्व का विषय होती है और अगर किसी भी क्षेत्र का forest diversion होता है तो उसके संबंध में compensatory afforestation और जो NPV है, उसके निर्धारण के आधार पर ही diversion की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, जहां तक पांडिचेरी में forest cover

की बात है, तो पांडिचेरी में 2017 में 53.67 square kilometre forest cover था, जो 2019 में घटकर 52.41 square kilometre हो गया था, परंतु वहाँ पर compensatory afforestation और अन्य गतिविधियों के कारण forest cover बढ़कर अब 53.30 square kilometre हुआ है, यह 2021 में हुआ है और यह जो चिन्हित करने की प्रक्रिया है, यह राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है और राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई नगर वन भी चिन्हित किया जाता है, तो CAMPA के द्वारा उसकी funding की जाती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third supplementary - Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, my question to the hon. Minister comes from Annexure-I of his reply. In the Andaman and Nicobar Islands, the total area is 8,260 square kilometres, 83 per cent of which is the forest area. Now, we have been reading in the newspapers, over the last couple of months, that there is a huge mega project in the Great Nicobar which is going to lead to a loss of thousands of hectares of good, rich forest, which is ecologically very sensitive. I would like to ask the hon. Minister what is the status of this and what steps are going to be taken to prevent the loss of forest cover in an ecologically-fragile and sensitive area of the country.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य अंडमान-निकोबार के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो सघन वन से आच्छादित एक बड़ा क्षेत्र है, वहां पर जो स्वीकृति दी गई है, तो जो पर्यावरणीय स्वीकृति है, उसके अनुकूल दी गई है और स्वीकृति देने से पहले सभी विशेषज्ञों से वार्ता करके, compensatory aforestation की जमीन का निर्धारण करके और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र में BSI, ZSI जैसे हमारे जो expert institutes हैं, जो वन्य जीवों के प्रजनन और बाकी विषयों का पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, उन सब की सलाह लेकर, स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पर दी गई है, जिसका विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, forest fire is one of the major factors for the depletion of forest cover in our country. As per the data released by Forest Survey of India, in the year 2023-24, there were 12,114 major forest fires in the country. I would like to know from the hon. Minister as to what the Government is doing to prevent such forest fires, which contribute to the depletion of forest cover.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ तक फॉरेस्ट फायर का विषय है, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि Forest Survey of India के द्वारा Satellite Sensors के माध्यम से उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और हम इस सैटेलाइट बेस्ड सर्वे के द्वारा फॉरेस्ट

फायर का निर्धारण करते हैं। फॉरेस्ट फायर के काफी कारण हैं - स्थानीय स्तर पर मवेशी चराने के लिए जो लोग जाते हैं, उनके कारण, तापमान के कारण, कभी-कभी दुर्घटना के कारण और कभी-कभी कुछ जगहों पर इस प्रकार के वृक्षारोपण किए गए हैं, जो आग के लिए बड़े संवेदनशील तंत्र के रूप में काम करते हैं। इसके लिए हमने लगातार फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर पिछले तीन सालों में फॉरेस्ट फायर हुई है, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी capacity build करने का काम किया है। इसके साथ ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम एक फायरलाइन क्षेत्र का निर्धारण करने का निर्देश देते हैं ताकि अगर फॉरेस्ट में फायर भी लगे, तो वह जो फायरलाइन क्षेत्र है, वह दो क्षेत्रों को अलग करने का कार्य करता है। हम इसकी सघन रूप से निगरानी करते हैं और आवश्यक जितने भी साधन हैं, उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, in the annexure to the answer, the hon. Minister has given a list of the forest areas. Some are increasing, some are decreasing. Especially, in the smaller States, in the northern States of the country, decrease is there. Even in Puducherry, as he said, it is quite less. In Tamil Nadu, though there is an increase but it is very less. The list shows an increase but it is very less. What action is the Government going to take across the country, especially, in Tamil Nadu where deforestation is taking place at many places and illegal activities are going on? We have seen that timber is being cut. In Tamil Nadu area...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

DR. M. THAMBIDURAI: At times, we are not able to get rain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

DR. M. THAMBIDURAI: At times, flood is there. Will the Government take any action or advise the Tamil Nadu Government to take action to increase the forest area?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने फॉरेस्ट क्षेत्र के बढ़ने के बारे में कहा है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि Forest Survey of India की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि देश में जो 1,540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, उसमें मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्णाटक और झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक उत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, यानी 90 परसेंट, 80 परसेंट तक का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ निश्चित रूप से विकास परियोजनाओं के कारण थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसका कारण अवैध रूप से फॉरेस्ट को काटना नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई के लिए हमने सख्त कानून बनाए हैं और अब हम उसकी मोनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से भी करते हैं। अगर कोई विशेष जगह या उदाहरण माननीय सदस्य को तमिलनाडु के संदर्भ में लगता

है, तो मैं चाहूँगा कि वे उसको मेरे संज्ञान के अंतर्गत ले करके आएँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 183.